झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 01/स्था (पें०) 02–20/2013 रॉची, दिनांक :–

आदेश

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अभियंताओं/पदाधिकारियों की कार्य क्षमता का आकलन कर वैसे कर्मियों को जो सरकारी कार्यो में अपेक्षित अभिरूचि लेकर दायित्वों का निर्वहन नहीं करते है, को बिहार सेवा संहिता भाग 1 के नियम 74 के आलोक में अनिवार्य सेवानिवृति देने पर विचार हेतु विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटी के गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके निम्न सदस्य होंगे।

(1) विशेष सचिव — अध्यक्ष
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(2) अभियंता प्रमुख–I — सदस्य
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(3) अभियंता प्रमुख–II — सदस्य
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

यह कमिटी बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (ख) के आलोक में प्रत्येक वर्ष में दो बार जुलाई और जनवरी माह में उन सभी सरकारी सेवको की सेवा में बने रहने की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए समीक्षा करेगी, जो 30 वर्ष की अर्हक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हों।

ह०/–
(दिनेश उपाध्याय)
उप सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक :– 2794 रॉची, दिनांक :– 22-5-13

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव के सचिव जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ राज्यपाल के सलाहकार के विशेष कार्य पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ अभियंता प्रमुख–I, एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची, वेब इन्फारमेशन मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.5.13
(दिनेश उपाध्याय)
उप सचिव (प्रबंधन)

D:\P.M\Aadesh@03-05-13.doc